कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/आकाशि/प्रवेश नीति/2009/ 96 दिनांकः 9 जुलाई, 2009

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः प्रवेश नीति 2009–2010 में संशोधन करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रवेश नीति 2009–2010 के प्रथम भाग के बिन्दू संख्या 1.2 की टिप्पणी 4 में अंकित "प्रत्येक कक्षा/विषय में अधिकतम वर्गों की संख्या महाविद्यालय में उस विषय के व्याख्याताओं के वर्तमान स्वीकृत पदों के अनुपात में निर्धारित कार्यभार तक सीमित होगी" को एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

9/7

(संदीप वर्मा)
आयुक्त

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/आकाशि/प्रवेश नीति/2009/ 96 दिनांकः 9 जुलाई, 2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
4. स्थापना शाखा/योजना एवं समन्वय शाखा, आयुक्तालय।
5. रक्षित पत्रावली।

9.7.09

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/आक.शि/प्रवेश नीति/2009/103-125 दिनांकः जुलाई, 2009

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
(संलग्न सूचीनुसार)

विषयः महाविद्यालय में वर्ग (सैक्शन) बढ़ाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सत्र 2009–2010 के लिए कला संकाय, वाणिज्य संकाय एवं विज्ञान संकाय में संलग्न सूचीनुसार वर्ग और आवंटित किये जाते है।

नये आवंटित वर्गों में प्रतिक्षा सूची के शुल्क जमा करा चुके छात्र, जिनका पूर्व में आवंटित वर्गों में प्रवेश नहीं हो सका है, को नियमानुसार समायोजित करने के पश्चात् रिक्त सीटों पर शेष आवेदन पत्रों के अभ्यर्थियों को वरियता क्रम में नियमानुसार प्रवेश दें।

उक्त नये आवंटित वर्गों में फीस जमा कराने की तिथि 07.07.2009 से बढ़ाकर दिनांक 15.07.2009 नियत की जाती है। इस अवधि में प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित कर प्रवेश देना सुनिश्चित करें।

नये आवंटित वर्गों हेतु मूलभूत आवश्यकता, यथा कक्षा–कक्ष, फर्नीचर आदि की व्यवस्था महाविद्यालय अपने स्तर पर विकास समिति द्वारा करेंगे। राज्य सरकार द्वारा इस हेतु कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।

(संदीप वर्मा)
आयुक्त

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/आक.शि/प्रवेश नीति/2009/126-130 दिनांकः 9 जुलाई, 2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
4. स्थापना शाखा/योजना एवं समन्वय शाखा, आयुक्तालय।
5. रक्षित पत्रावली।

9.7.09

संलग्नः सूची

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

सत्र 2009--2010 में महाविद्यालयों में नये आवंटित वर्ग

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	संकाय	नये आवंटित वर्ग
1	राज0 कन्या महा0, भीलवाड़ा	कला	—
		वाणिज्य	01
		विज्ञान	—
2	राज0 डूंगर महा0, बीकानेर	कला	02
		वाणिज्य	01
		विज्ञान	—
3	राज0 महा0, खेतड़ी	कला	02
		वाणिज्य	01
		विज्ञान	01
4	राज0 महा0, नीमकाथाना	कला	03 (पुनर्स्थापित)
		वाणिज्य	01
		विज्ञान	01
5	राज0 वाणिज्य महा0, कोटा	कला	—
		वाणिज्य	02
		विज्ञान	—
6	राज0 कन्या महा0, कोटा	कला	02
		वाणिज्य	01
		विज्ञान	01
7	राज0 महा0, कोटा	कला	04
		वाणिज्य	—
		विज्ञान	—
8	राज0 महा0, किशनगढ़	कला	02
		वाणिज्य	01
		विज्ञान	—
9	राज0 एम.एस.जे. महा0, भरतपुर	कला	—
		वाणिज्य	01
		विज्ञान	—
10	राज0 महा0, कालाडेरा	कला	—
		वाणिज्य	01
		विज्ञान	—
11	राज0 महा0, चिमनपुरा	कला	05
		वाणिज्य	01
		विज्ञान	—
12	राज0 महा0, कोटपूतली	कला	03
		वाणिज्य	01
		विज्ञान	—
13	राज0 कन्या महा0, कोटपूतली	कला	02
		वाणिज्य	—
		विज्ञान	—
14	राज0 कन्या महा0, बांसवाड़ा	कला	02
		वाणिज्य	—
		विज्ञान	—
15	राज0 महा0, आबूरोड़	कला	01
		वाणिज्य	—
		विज्ञान	—
16	राज0 महा0, डीडवाना	कला	02
		वाणिज्य	—
		विज्ञान	—
17	राज0 एम.एल.वी महा0, भीलवाड़ा	कला	02
		वाणिज्य	01
		विज्ञान	—

18	राज0 महा0, दौसा	कला	04
		वाणिज्य	01
		विज्ञान	01
19	राज0 महा0, नोहर	कला	02
		वाणिज्य	—
		विज्ञान	—
20	राज0 महा0, रतनगढ़	कला	—
		वाणिज्य	01
		विज्ञान	—
21	राज0 महा0, बून्दी	कला	02
		वाणिज्य	—
		विज्ञान	—
22	राज0 महा0, सीकर	कला	03
		वाणिज्य	—
		विज्ञान	—
23	राज0 कन्या महा0, बीकानेर	कला	—
		वाणिज्य	01
		विज्ञान	—

9.7.09

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकएफ7(4)अकाद / आकाशि / प्रवेशनीति / 09 / 161 दिनांक: 15 जुलाई, 2009

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः सत्र 2009–10 हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में सीटें बढ़ाने के बाबत्

महोदय,

1– राज्य सरकार के आदेश जरिये आई.डी. संख्या 1540 दिनांक 15–07–09 की अनुपालना में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में सत्र 2009–10 हेतु स्नातक प्रथम वर्ष के सभी संकायों में आवश्यकतानुसार प्रत्येक स्वीकृत वर्ग में 20 सीटें बढ़ाने की अनुमति दी जाती है एवं इस हेतु स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में फीस जमा कराने की तिथि 23–07–09 निर्धारित की जाती है। इस हेतु समस्त प्राचार्यो से अपेक्षा की जाती है कि विभिन्न संकायों में स्वीकृत वर्गों में निम्नानुसार प्रवेश दे सकेंगेः–

क्रम संख्या	संकाय	नियत सीट प्रति वर्ग	सत्र 2009–10 के लिए संशोधित सीट प्रति वर्ग
1	विज्ञान संकाय	70	90
2	कला संकाय	80	100
3	वाणिज्य संकाय	80	100

सत्र 2009–10 में प्रवेश हेतु संशोधित सीट प्रति वर्ग को संबंधित महाविद्यालय के संकाय में स्वीकृत वर्गों की 30–06–09 की स्थिति में गुणा करते हुए कुल प्रवेश दिये जाने वाले छात्रों की गणना की जाये।

2– इस कार्यालय के सम संख्यक आदेश क्रमांक 103–130 दिनांक 9–07–09 के द्वारा कुछ महाविद्यालयों को नये वर्ग आवंटित किये गये थे। आदेश दिनांक 9–07–09 के अन्तर्गत यदि कतिपय महाविद्यालयों में अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश दिया गया है तो ऐसे अतिरिक्त छात्रों को दिनांक 30–06–09 को स्वीकृत वर्गों में समायोजित कर दिया जावे।

भवदीय,
15/7
(संदीप वर्मा)
आयुक्त

क्रमांकएफ7(4)अकाद / आकाशि / प्रवेशनीति / 09 / 161 दिनांक: 15 जुलाई, 2009

प्रतिलिपिः–

1–निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2–निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3–निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4–स्थापना / योजना एवं समन्वय शाखा, आयुक्तालय।
5–सहायक निदेशक, जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / बीकानेर / कोटा / अजमेर।
6–रक्षित पत्रावली।
7– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर

15.7.09
संयुक्त निदेशक,अकादमी

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकएफ 1( )अकाद/ आकाशि/ प्रवेशनीति/09/162 दिनांकः16 जुलाई, 2009

समस्त प्राचार्य,
राजकीय/अनुदानित महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः– मूक, बधिर एवं Blind छात्र/छात्राओं को प्रवेश में छूट देने बाबत् ।

महोदय,

प्रवेश नीति के षष्टम भाग आरक्षण, रियायत एवं लाभ के बिन्दु 6.2 "विकलांग अभ्यर्थी" को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

6.2 विकलांग अभ्यर्थी (स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल)

अ	मूक, बधिर एवं Blind छात्र/छात्राओं को मनोवांछित महाविद्यालय में मनोवांछित संकाय में उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित छात्रों की सीटे स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जावेगी एवं प्राचार्य अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु प्राधिकृत होंगे।
ब	प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में 3 प्रतिशत स्थान विकलांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण वर्ग सहित सभी वर्गों में संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा ।
स	स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. पर आरक्षण विषयवार होगा। जहां यह संख्या एक से भी कम हो, वहां भी कम से कम एक स्थान आरक्षित रहेगा। विकलांग अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रवेश की अन्तिम तिथि को इसे सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा।
द	इस नियतांश में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंकों का लाभ भी दिया जा सकेगा। परन्तु उक्त लाभ किसी भी अभ्यर्थी को नियतांश (कोटा) भरने की पात्रता प्रदान करने हेतु ही देय होगा, योग्यता सूची में उच्च स्थान प्रदान करने के लिए नहीं।
य	विकलांग अभ्यर्थी के लिए इस नियतांश(कोटे) में प्रवेश पाने हेतु विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस हेतु पुनर्वास केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा किन्तु जहां पुनर्वास केन्द्र नहीं है वहां सी.एम. एण्ड एच.ओ. अथवा इस हेतु अन्य अधिकृत समकक्ष चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
र	विकलांग अभ्यर्थियों को प्रवेश में अतिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मूक बधिर छात्रों का रिजल्ट दिनांक 07–07–09 को जारी किये जाने के कारण इन्हें अकादमिक सत्र 2009–10 में दिनांक 31–07–09 तक प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे आवेदित छात्रों के प्रवेश हेतु आवश्यकतानुसार विषय में छात्र संख्या बढाते हुए प्रवेश देने के लिए प्राचार्य को प्राधिकृत किया जाता है ।

भवदीय,

(संदीप वर्मा) 16/7

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.7(4)अकाद/आकाशि/प्रवेशनीति./2009/ 163 दिनांक 16.7.09

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– आदेश क्रमांक एफ 7(4)अकाद/आकाशि/प्रवेशनीति./2009/161 दिनांक 15.7.09 में आंशिक संशोधन बाबत।

इस कार्यालय के सम संख्यक आदेश दिनांक 15.7.2009 में निम्नानुसार आंशिक परिवर्तन किया जाता है:–

1. आदेश दिनांक 15.7.09 के बिन्दू संख्या 1 के पैरा 2 में अंकित दिनांक 30.6.2009 की जगह 10.7.2009 पढा जावे।
2. आदेश दिनांक 15.7.09 का बिन्दू संख्या 2 पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

16/7
(संदीप वर्मा)
आयुक्त

क्रमांक एफ 7(4)अकाद/आकाशि/प्रवेशनीति./2009/ 163 दिनांक 16.7.09

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. स्थापना/योजना एवं समन्वय शाखा आयुक्तालय
5. सहायक निदेशक, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अजमेर/बीकानेर
6. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

16.7.09
संयुक्त निदेशक
कालेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।